संख्या–2156/उन्तीस/05/2(16पे0)/2005

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
(हरिद्वार को छोड़कर)
उत्तरांचल।

पेयजल अनुभाग देहरादूनः दिनांक 04 जून, 2005

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान कार्यालय, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के पत्रांक 1949/धनावंटन प्रस्ताव दिनांक 04–5–2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित जनपदवार विवरणानुसार कुल धनराशि रू0 20,00,32,000/–(रू0 बीस करोड़,बत्तीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

धनराशि (लाख रू0 में)

क0सं0	जनपद का नाम	परिव्यय	स्वीकृत धनराशि
1	उत्तरकाशी	359.29	179.65
2	चमोली	188.60	94.30
3	रूद्रप्रयाग	299.70	149.85
4	टिहरी	597.30	298.65
5	देहरादून	126.20	63.05
6	पौड़ी	880.00	440.00
7	पिथौरागढ	308.35	154.20
8	चम्पावत	256.72	128.40
9	अल्मोडा	300.00	150.00
10	बागेश्वर	247.00	123.50
11	नैनीताल	335.00	167.50
12	उधमसिंहनगर	102.63	51.22
	योगः–	4000.64	2000.32

क्रमशः....2

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तरांचल पेयजल निगम के संबंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल संबंधित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार अधिकतम तीन किश्तों में पूर्व में स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग अथवा 80 प्रतिशत धनराशि के उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा । जिन जनपदों में पूर्व में स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग हो चुका है, वे आवंटित धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण कर सकते है।

3- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत एवं उक्त स्वीकृत धनराशि का 30/10/2005 तक पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ताकि लाभार्थी तक त्वरित गति से लाभ पहुँचे। यदि समय पर उक्त धनराशि का उपयोग नही होता हैं तो इसका और कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा।

4- स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उ0 प्र0 शासन के वित्त लेखा अनुभाग -2 के शासनादेश सं0- ए-2-87(1)/दस-97-17(4)/75 दिनांक 27-2-97 के अनुसार सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सैन्टेज चार्जेज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नही होगी। इस कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर आगणन में सैन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतया चालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा चालू योजनायें शेष न होने पर ही नये कार्यो पर योजनावार विवरण उपलब्ध कराने पर शासन की अनुमति के उपरांत ही धनराशि व्यय की जायेगी।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि से जिला योजना में अनुमोदित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा। जनपदवार स्वीकृत धनराशि के योजनावार आवंटन की सूचना 2 सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसमें लाभान्वित होने वाली एन0 सी0 तथा पी0 सी0 बस्तियों का विवरण अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके संबंध में तकनीकी स्वीकृति नही हैं अथवा जो विवादग्रस्त है। यह भी स्पष्ट किया जाता हैं कि स्वीकृत धनराशि जिला नियोजन तथा अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यो पर एवं एन0 सी0 तथा पी0 सी0 बस्तियों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु व्यय की जायेगी।

8- व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की टैक्निकल स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

क्रमशः.....3

9– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

10– वही कार्य किया जायेगा जो जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित हो और जनपदवार आवंटित प्लान परिव्यय के अन्तर्गत हो ।

11–स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2006 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।

12– स्वीकृत की जा रही धनराशि के आहरण के पूर्व, पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा और इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त ही आगामी किश्त का प्रस्ताव किया जायेगा।

13– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या –13 के लेखाशीर्षक –2215–जलापूर्ति तथा सफाई 01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–91–जिलायोजना–01–ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 459/वि0 अनु0–3/2005 दिनांक 01.06. 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक यथोक्त

भवदीय,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या–2156 (1)/उन्तीस/05/2 (16पे0)/2005, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– समस्त जनपदीय कोषाधिकारी (जनपद हरिद्वार को छोडकर) उत्तरांचल ।
3– मण्डलायुक्त गढवाल/कुमायूँ।
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।
5– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता (गढवाल/कुमायूँ) उत्तरांचल पेयजल निगम।
7– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम,संबंधित जनपद।
8– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/बजट सैल, उत्तरांचल शासन।
9– संयुक्त विकास आयुक्त गढवाल/कुमायूँ मण्डल।
10–आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।

क्रमशः..4

11– संबंधित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, उत्तरांचल पेयजल निगम, संबंधित जनपद।

12– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।

13– निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन को मा0 मुख्यमंत्रीजी के संज्ञानार्थ

14– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)

अपर सचिव